रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3, 1976/आषाढ़ 12, 1898

No. 224] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3, 1976/ASADHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July 1976

G.S.R. 437(E)/IDRA/30/1/76.—Whereas a draft of the Investigation of Industrial Undertakings Owned by Companies in Liquidation (Procedure) Amendment Rules, 1976, was published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 847—850 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 19th March, 1976 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. G.S.R. 243(E)/IDRA/30/1/76 dated the 19th March, 1976, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 24th March, 1976;

And whereas the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investigation of Industrial Undertakings Owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973, namely:—

1. These rules may be called the Investigation of Industrial Undertakings Owned by Companies in Liquidation (Procedure) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Investigation of Industrial Undertakings owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973, for rules 4, 5 and 6, the following rules shall be substituted, namely:—

"4. *Procedure for investigation.*—(1) For the purposes of making an investigation, the investigator shall send a notice to the company concerned, to the registered trade unions, if any, of which the employees of the company are members and to the creditors thereof individually by registered post acknowledgement due.

(2) The investigator shall also publish a notice in regard to the investigation in two successive issues of a leading newspaper published in the English language and of a leading newspaper published in the regional language commonly used in the area in which the company is situated.

(3) The company or any registered trade union or creditor thereof may, within a period of twenty one days from the date of receipt of such notice by the company, trade union or creditor, as the case may be, forward its or his suggestions or objections, if any, to the investigator:

Provided that in the event of a company, trade union or creditor refusing to accept the notice or sign the acknowledgement, the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such refusal:

Provided further that if the notice is returned on the ground that the company, trade union or creditor any person duly authorised by such company, trade union or creditor, as the case may be, to receive the notice on its or his behalf is not found, the investigator shall cause the notice to be served on such company, trade union or creditor, as the case may be, by affixing a copy of the notice in some conspicuous part of the place where such company, trade union or creditor is known to have carried on business or known to have resided or personally worked for gain and the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such affixation.

5. *Opportunity for hearing.*—The investigator shall before the completion of his investigation, give the Official Liquidator if any, of the company owning the Industrial undertaking or any other person for the time being in charge of the management or control of the industrial undertaking, the employees of the industrial undertaking and the former employees of the industrial undertaking, if any, whose services became discharged by reason of the said company being wound up, a reasonable opportunity of being heard including the opportunity to adduce evidence.

6. *Submission of report.*—(1) The investigator shall, after completing the investigation, submit a report to the Central Government within the period specified in the order appointing such investigator or if no such period is specified therein, within three months from the date on which such order is published in the Official Gazette:

Provided that if the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may extend the period for such period not exceeding one month at a time.

(2) The investigator shall also forward along with his report to the Central Government, the suggestions and objections in original, if any, received from the company, trade union, member or creditor, under rule 4, together with his comments thereon."

[No.13(5)/Lic.Pol./74]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 437 (अ)/आई डी आर ए/30/1/76.—समापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1976 का प्रारूप जैसा कि उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 19 मार्च, 1976 के पृष्ठ संख्या 847—850 पर भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 243 (अ)/ओ०वि०नि०अ/30/1/76 तारीख 19 मार्च, 1976 के अधीन प्रकाशित किया गया था जिस में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के साठ दिन के अन्दर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप व सुझाव मांगे गए थे जिन को उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र जनसाधारण को 24 मार्च, 1976 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) इन नियमों का नाम समापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. समापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1973 में नियम 4, 5, 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"4. **अन्वेषण की प्रक्रिया.**—(1) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए अन्वेषक सम्बन्ध कम्पनी को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को, यदि कोई हों, जिसके कम्पनी के कर्मचारी सदस्य हैं और उन के लेनदारों को अलग अलग रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा ।

(2) अन्वेषक अन्वेषण की बाबत, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के दो क्रमवर्ती अंकों में और उस क्षेत्रीय भाषा के जो उस क्षेत्र में जिस में कम्पनी स्थित है उपयोग की जाती है, एक प्रमुख समाचारपत्र में भी नोटिस प्रकाशित कराएगा ।

(3) कम्पनी का कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य या लेनदार, ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपने सुझाव या आक्षेप यदि कोई हों, अन्वेषक को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार द्वारा नोटिस लेने से या अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की दशा में इक्कीस दिनों की उक्त अवधि की गणना से इनकार करने की तारीख से की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि नोटिस इस आधार पर वापस कर दी जाती है कि कम्पनी व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार या यथास्थिति ऐसी कम्पनी व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार द्वारा उसकी ओर से नोटिस प्राप्त करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अन्वेषक यथास्थिति, ऐसी कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार पर नोटिस की तामील, उस स्थान के सहजदृश्य भाग पर नोटिस की एक प्रति चिपका कर करेगा, जहां यह ज्ञात है कि ऐसी कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार कारबार करता था या कर रहा था या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम किया है और इक्कीस दिन की उक्त अवधि की गणना नोटिस के इस प्रकार चिपकाए जाने की तारीख से की जाएगी ।

5. **सुनवाई का अवसर.**— अन्वेषक, अपना अन्वेषण पूर्ण करने के पहले ऐसे औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्वाधीन वाली कम्पनी के शासकीय समापक, यदि कोई हो, या उस समय औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध या नियंत्रण के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को तथा औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी को यदि कोई हो, जिनकी उक्त कम्पनी के समापन के कारण सेवाएं समाप्त हो गई थी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिस में साक्ष्य पेश करने का अवसर सम्मिलित है ।

6. **रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण.**—(1) अन्वेषक, अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अन्वेषक नियुक्त करने के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या यदि उस में कोई अवधि विनिर्दिष्ट न हो ऐसे आदेश की शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन मास के भीतर, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह उस अवधि को एक मास से अनधिक की अवधि तक बढ़ा सकेगी ।

(2) अन्वेषक अपनी रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे कम्पनी, व्यवसाय, संघ, सदस्य या लेनदार से नियम 4 के अधीन प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को अपने टिप्पणों सहित, केन्द्रीय सरकार को मूल रूप में भेजेगा ।

[सं० 13(5) ता० पा०/74]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976